उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या- 24 /2021/130प्र0स0/92-2-2021-101एम/2019

लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-यूपी-1059 के अधीन हल्दी बयासी पान्टून ब्रिज से जबही दीयर तक मार्ग के वर्ष 2013 के वर्षाकाल में आई बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग को बिना किसी देखरेख **(Unattended)** के छोड दिये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2020/506/92-2-20-101एम/2019 दिनांक 12-02-2020 द्वारा श्री दुष्यंत प्रताप सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग पीआईयू बलिया, सम्प्रति पीआईयू मुरादाबाद को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया ।

2- तदक्रम में जांच अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-213/ग्रा0अ0वि0/अनु0-जांच-बलिया/2019-20 दिनांक 23 जून, 2020 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री दुष्यंत प्रताप सिंह पर अधिरोपित कुल 01 आरोप की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी । अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत जनपद बलिया के कार्यकाल दिनांक 19-03-2015 से 24-04-2016 तक पैकेज संख्या-यूपी-1059 के अधीन हल्दी बयासी पान्टून ब्रिज से जबही दीयर तक मार्ग का निर्माण मई 2013 में पूर्ण होने के उपरान्त उसी वर्ष 2013 की वर्शाकाल में बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो जाने के उपरान्त अपचारी अधिकारी द्वारा मार्ग को दैवीय आपदा कोष से मरम्मत न कराने एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित न करते हुये, मार्ग को बिना किसी देखभाल (Unattended) के छोड दिया गया, जिसे लिये अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया है, जो उ0प्र0 सरकारी सेवक, कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

साक्ष्य:-

1- अभिकरण कार्यालय के अ0शा0पत्रांक-2129/टी-1943प्रआरआरडीए0 दिनांक 1-9-2016

2- अभिकरण कार्यालय के अ0शा0पत्रांक-2548/टी-1943प्रआरआरडीए0 दिनांक 5-10- 2016

3- अभिकरण कार्यालय के अ0शा0पत्रांक-2040/ए-3603प्रआरआरडीए0 दिनांक 1-11-2019 के साथ संलग्न ग्राम्य विकास अनु0-9 उ0प्र0 शासन के पत्रांक-पी-884/अडतीस-9-16-46(पीएमजीएसवाई)/2015 दिनांक 2-12-2016

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर:-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आरोप के साक्ष्य में जिन तीन पत्रों का उल्लेख किया गया है उनमें उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है, जबकि आरोप गठित किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 7(2) में निहित व्यवस्था के अनुसार अपचार के तथ्यों को उल्लिखित करते हुये निश्चित आरोप आरोपित किया जाना चाहिये । साक्ष्यों के अनुसार निर्माणोपरांत बरसात/बाढ से क्षतिग्रस्त मार्ग के जीर्णोद्वार लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण न करने तथा मार्ग को unattended छोड देने हेतु अधीक्षण अभियंता श्री ई0एच0 खान आजमगढ तथा श्री राशिमणि मिश्रा अधिशासी अभियन्ता बलिया को उत्तरदायी माना गया है न कि उन्हें ।

यह भी अवगत कराया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 चयनित होने के उपरान्त सहायक अभियन्ता के रूप में बिना उचित प्रशिक्षण के प्रथम नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 19-03-2015 को पीआईयू बलिया में योगदान किया गया था । नवआगन्तुक होने के कारण विभागीय कार्यप्रणाली को समझने, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जैसी बडी परियोजना की नीतियां तथा इस योजनान्तर्गत निर्माणाधीन या विवादित निमार्ण कार्यों को समझने, उनकी पृष्ठभूमि में हुये समस्त पत्राचारों से संज्ञानित होने तथा तत्संबंधी विभिन्न शासनादेशों और नियमावलियों से भिज्ञ होने में समय लगता है । उक्त स्थिति को संज्ञान में रखते हुये अपचारी अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना/आख्या :-</u>

आरोप में इंगित स्थिति के सापेक्ष अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर में उल्लिखित स्थिति तथा उसके साथ संलग्न किये गये अभिलेखों का परीक्षण करने पर बचाव उत्तर अभिलेखों पर आधारित होना पाया गया । बचाव उत्तर में इंगित स्थिति के सापेक्ष आरोप के समर्थन में रक्षित साक्ष्यों का परीक्षण करने पर पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 से चयनित होने के कारण उपरांत सहायक अभियन्ता के रूप में बिना उचित प्रशिक्षण के प्रथम नियुक्ति के फलस्वरूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक 19-03-2015 को पीआईयू बलिया में योगदान किया था । दिनांक 19-03-2015 से 24-04-2016 तक रहा है । नवआगन्तुक होने के कारण विभागीय कार्य प्रणाली को समझने, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जैसी बडी परियोजना की नीतियां तथा इस योजनान्तर्गत निर्माणाधीन या विवादित निर्माण कार्यों को समझने, उनकी पृष्ठभूमि में हुए समस्त पत्राचारो से संज्ञानित होने तथा तत्संबंधी विभिन्न शासनादेशों और नियमावलियों से भिज्ञ होने में समय लगता है । प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के कार्य में सहायक अभियन्ता की भूमिका इम्पलायर एवं इंजीनियर द्वारा दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन कराने का होता है । क्षतिग्रस्त मार्ग का जीर्णोद्वार कार्य कराने हेतु अपचारी अधिकारी सहायक अभियन्ता को उच्च स्तर से निर्देश दिये जाने संबंधी पत्र/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों में अपचारी अधिकारी को स्पष्ट रूप से उत्तरदायी बताया गया है । उपरोक्तानुसार अपचारी अधिकारी पर आरोप स्थापित होना नहीं पाया जाता है । **अतः अपचारी अधिकारी पर उक्त आरोप स्थापित नहीं होता है ।**

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं अपचारी अधिकारी की जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी के कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है । अतएव कार्यप्रणाली में सुधार हेतु अपचारी अधिकारी को चेतावनी दण्ड प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । चूंकि कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2019/13(2)/2007/का-1/2019 दिनांक 27-09-2019 द्वारा उच्च पदों पर पदोन्नति में चेतावनी को दण्ड मानते हुये 05 अंक घटाने की व्यवस्था है, अतएव अपचारी अधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये चेतावनी प्रदान किये जाने के निर्णय के क्रम में शासन के पत्र संख्या-1217/92-2-2020-101एम/2019 दिनांक 07-07-2020 एवं संख्या-1397/92-2-20-101एम/2019 दिनांक 18-08-2018 द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । तत्क्रम में अपचारी अधिकारी ने पत्रांक-184/ग्रा0अ0वि0/अनु0-जांच/बलिया पै0-1059/2020-21 दिनांक 18-09-2020 द्वारा अपना अभिकथन उपलब्ध कराया, जिसके अनुसार अपचारी अधिकारी द्वारा जांच आख्या में उल्लिखित अंश कि " अपचारी अधिकारी को उक्त अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जैसे महत्वपूर्ण परियोजना की नीतियों/नियमों आदि को समझने का अधिक तेजी से प्रयास किया जाना चाहिये था, जिसके लिये अपचारी अधिकारी को उत्तरदायी पाया गया " को अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभिकथन में सुझावात्मक अथवा तुलनात्मक वाक्यांश बताया गया। अतएव अपचारी अधिकारी का अभिकथन मान्य नहीं पाया गया ।

4- अतएव अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा अपचारी अधिकारी के अभिकथन पर सम्यक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विचारोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री दुष्यंत प्रताप सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू बलिया के विरूद्व कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2020/506/92-2-20-101एम/2019 दिनांक 12-02-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 24 /2021/130प्र0स0 **(1)** /92-2-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री दुष्यंत प्रताप सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू बलिया सम्प्रति पीआईयू मुरादाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।